

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/11/17	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>विठ्ठलराम सिन्हा</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ..... 111, 128</p> <p>राजस्थान कायदेकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट/जरिये नोटिस/सम्पन</p> <p>तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>13/12/17</u> को पेश हो।</p>	
13/12/17	<p style="text-align: center;"><b>सहायक कलक्टर (आपा)</b> <b>बायतु</b></p> <p>प्रार्थी वकील उपलब्ध। विप्रार्थी/जिगे के नोटिस तामील शुद्धा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली विद्या जाया। विप्रार्थी/जिगे वाक्युत तामिल प्रेषण। मूल: वास्ते बहम पत्रावली दिनांक 23/11/18 के पेश की।</p>	
23/11/18	<p>प्रार्थी वकील उपलब्ध। विप्रार्थी/जिगे अनुपलब्ध। प्रार्थी के अधिवक्ता की एडवोकेट बहम हुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता के वाताया की प्रार्थी के अपने प्वालेटारी प्बेले के चारों ओर पन्ने नैयम स्थापित करवाना कोरुप्रुत के इमल्लिए प्रार्थी का क्रवेन स्वीडा विद्या जाडा नैयमबन्नी कोरु विद्या जावे। मूल: प्रार्थी का क्रवेन स्वीडा विद्या जाडा लटवीलगाह विद्या की इमिशान निमुक्त विद्या जाला ई व कोरु विद्या जाला ई कि मय स्वम या अपने अधिवक्ता विदी की मू कोमिलेय निरिसड के प्रार्थी के प्वालेटारी प्बेले की पन्ने</p>	

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क/वाद/2018/ 01  
प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

दिनांक:- 23/01/2018

1. दीपाराम पुत्र गोमाराम वगैरा 5  
जाति जाट निवासी अमरजी  
की ढाणी, सवाउ पदमसिंह  
तह. गिड़ा जिला बाड़मेर

1. नारणाराम पुत्र चेनाराम वगैरा 54 निवासी  
अमरजी की ढाणी, सवाउ पदमसिंह तह. गिड़ा  
जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 262/17


आदेश


मौजा अमरजी की ढाणी पटवार हल्का सवाउ पदमसिंह के खेत खसरा नम्बर 546 रकबा 201.07 बीघा, खसरा नम्बर 611 रकबा 51.12 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भूअनिरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क/वाद/2018/ 02 to 06  
प्रतिनिधि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी हल्का सवाउ पदमसिंह को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री दीपाराम पुत्र गोमाराम वगैरा 5।
4. विप्रार्थीगण श्री नारणाराम पुत्र चेनाराम वगैरा 54।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा।

  
(हेताराम चौहान) कलेक्टर (SDO)  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
दिनांक:- 23/01/2018

  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
सहायक कलेक्टर (SDO)  
बायतु